"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 214] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 9 अगस्त 2012—श्रावण 18, शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 अगस्त 2012

क्रमांक 6645/डी. 176/21-अ/प्रारू./छ. ग./12.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 01-08-2012 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. चरयाणी, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 17 सन् 2012)

छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2012

छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2012 कहलाएगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 3 का संशोधन.

2. (एक) छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 3 में, उप-धारा (35-क) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(35-ख) "सामाजिक अंकेक्षण" से अभिप्रेत है, ऐसे नगरपालिक क्षेत्र जहां ऐसा पुनर्विलोकन संचालित किया जाना है, के भीतर निवास कर रहे व्यक्तियों के किसी समूह या समूहों द्वारा, किसी नगरपालिका प्राधिकारी द्वारा अंगीकृत की गई या कार्यान्वित की गई नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं या प्रक्रियाओं के प्रभाव का पुनर्विलोकन;"

(दो) धारा 3 की उप-धारा (37) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(37-क) "उपभोक्ता प्रभार" से अभिप्रेत है, धारा 127-बी के अधीन परिषद् या नगर पंचायत जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा प्रदत्त या प्रदाय किये जाने के लिये प्रस्तावित सेवाओं के लिए अधिरोपित प्रभार;"

धारा 41 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 41 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(क-1) यदि यह पाया जाए कि वह उस आरक्षित प्रवर्ग का नहीं है, जिसके लिए स्थान आरक्षित रखा गया था; या"

धारा 41-क का संशोधन.

4. मूल अधिनियम की धारा 41-क की उप-धारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएं, अर्थात् :—

"या यदि यह पाया जाए कि वह उस आरक्षित प्रवर्ग का नहीं है जिसके लिए स्थान आरक्षित रखा गया था."

धारा 55 का संशोधन.

5. मूल अधिनियम की धारा 55 की उप-धारा (1) में शब्द "निर्वाचन के" के पश्चात् शब्द "आगामी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के" जोड़ा जाए.

धारा 56 का संशोधन.

6. मूल अधिनियम की धारा 56 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"56. **सम्मिलन का संयोजन.**—

(1) परिषद् या नगर पंचायत का सम्मिलन, यथास्थिति, या तो साधारण होगा या विशेष.

(2) धारा 43, 43-क, 47, 55 या 71 में निर्दिष्ट सम्मिलन के सिवाय प्रत्येक सम्मिलन की तारीख, अध्यक्ष द्वारा या उसके कार्य करने में असमर्थ होने की दशा में, उपाध्यक्ष द्वारा नियत की जाएगी:

परंतु यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के द्वारा सम्मिलन की तारीख नियत नहीं की जाती हो, तो कलेक्टर, राज्य सरकार को सूचना के अधीन सम्मिलन की तारीख नियत करेगा.

(3) कार्यसूची को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तथा सम्मिलन के संचालन की रीति ऐसी होगी जैसी राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए."

7. मूल अधिनियम की धारा 69 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :— धारा 69-क का अंतःस्थापन.

"69-क. धारा 69 के अधीन मुख्य नगरपालिका अधिकारी के स्पष्टीकरण और/या अभिकथन को बैठक की कार्यवाही विवरण में अभिलिखित किया जाएगा."

8. मूल अधिनियम की धारा 86 की उप-धारा (5) में शब्द "आधे" के स्थान पर "दो तिहाई" प्रतिस्थापित किया जाए. धारा 86 का संशोधन.

9. मूल अधिनियम की धारा 121-ख के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :— धारा 121-ग का अंतःस्थापन.

"121-ग. **सामाजिक अंकेक्षण.**— इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, परिषद् या नगर पंचायत, यथास्थिति, ऐसी रीति में सामाजिक अंकेक्षण करवाने की व्यवस्था करेगी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए."

10. (एक) मूल अधिनियम की धारा 126 की उप-धारा (1) में शब्द "कुर्सी क्षेत्र (कारपेट एरिया)" के स्थान पर शब्द "निर्मित क्षेत्र (बिल्टअप एरिया)" प्रतिस्थापित किया जाए. धारा 126 का संशोधन.

(दो) धारा 126 की उप-धारा (1-क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(1-क) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए उप-धारा (1) के अधीन प्रारूप संकल्प प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 दिसंबर या इसके पूर्व तैयार करेगा तथा प्रस्तुत करेगा एवं उस दशा में जबकि परिषद् या नगर पंचायत, यथास्थिति, संकल्प को उस वित्तीय वर्ष के फरवरी के अंतिम दिन तक अंगीकृत करने में विफल रहता है, तो संकल्प अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया जायेगा तथा इसे परिषद् या नगर पंचायत जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा अंतिम रूप से अंगीकृत किया गया संकल्प समझा जाएगा :

परंतु मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा तैयार किया गया प्रारूप संकल्प चालू वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक यदि अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है, तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा तैयार किये गये अनुसार प्रारूप संकल्प परिषद् या नगर पंचायत जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा अंतिम रूप से अंगीकृत किया गया संकल्प समझा जाएगा."

(तीन) धारा 126 की उप-धारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(2-क) यदि ऐसा व्यक्ति जिसका दायित्व था कि वह 31 मार्च के पूर्व स्व-निर्धारण पत्रक प्रस्तुत करे, के द्वारा यह पत्रक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उस पर चूक हेतु एक हजार रुपये की शास्ति अधिरोपित की जायेगी."

(चार) धारा 126 की उप-धारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(3) उप-धारा (2) के अंतर्गत किये गये निर्धारण में निम्न स्तर पर यदि दस प्रतिशत तक का अंतर आता है, परंतु कर देय होने की तिथि तथा अन्तर की राशि जमा करने की तिथि के बीच (अन्तर) के प्रत्येक माह के लिये दो प्रतिशत की दर से अधिभार के साथ निर्धारिति निर्धारण आदेश के दो सप्ताह के भीतर कमी की राशि जमा करे तो शास्ति के प्रयोजन पर ध्यान नहीं दिया जायेगा, तथा ऐसे मामलों में जहां अंतर दस

प्रतिशत से अधिक हो, तो भूमि और/या भवन का स्वामी, यथास्थिति, कर देय होने की तिथि तथा अन्तर की राशि जमा करने की तिथि के बीच (अन्तर) के लिये प्रति माह दो प्रतिशत की दर से अधिभार के अतिरिक्त उसके द्वारा किये गये स्व-निर्धारण तथा परिषद् या नगर पंचायत, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किये गये निर्धारण के अंतर के पांच गुने के बराबर शास्ति भुगतान करने का दायी होगा."

(पांच) धारा 126 की उप-धारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(4) उप-धारा (3) के अधीन पारित किये गये आदेश के विरुद्ध अपील, प्रेसिडेन्ट-इन-काउंसिल में होगी :

परंतु इस उप-धारा के अंतर्गत कोई भी अपील तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक कि उसके साथ उप-धारा (3) के अंतर्गत जारी आदेश के अनुसार मांगी गई राशि के सविरोध भुगतान करने का प्रमाण संलग्न नहीं किया गया हो."

धारा 127-ए का संशोधन. 11. (एक) मूल अधिनियम की धारा 127-ए की उप-धारा (1) में, चिन्ह ". " (पूर्ण विराम) के स्थान पर चिन्ह ": " (कोलन) प्रतिस्थापित किया जाए.

(दो) धारा 127-ए की उप-धारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"परंतु यदि परिषद् या नगर पंचायत, यथास्थिति 31 मार्च तक संपत्ति कर अवधारित करने में विफल रहती है, तो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान यथा प्रचलित दर, चालू वित्तीय वर्ष के लिए भी दर समझी जायेगी."

(तीन) धारा 127-ए की उप-धारा (2) के खण्ड (बी) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(बी) कवेलू छत वाले समस्त कच्चे मकान जिनका क्षेत्रफल पांच सौ वर्ग फुट से अधिक न हो तथा ऐसे समस्त भवन और भूमि जो शहरी गरीब वर्गों का हो या जिन पर उनका निवास हो, जिसे शासन द्वारा अधिसूचना के माध्यम से छूट दी जायेगी;"

(चार) धारा 127-ए की उप-धारा (2) के खण्ड (सी) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(सी) भारत सरकार, राज्य शासन, परिषद् या नगर पंचायत, जैसी भी स्थिति हो, के शैक्षणिक संस्थाओं, पंजीकृत धर्मार्थ न्यास, आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 12क के अंतर्गत पंजीकृत शैक्षणिक संस्थाओं को सम्पूर्ण छूट प्राप्त होगी तथा अन्य शैक्षणिक संस्थाओं को परिषद् या नगर पंचायत, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा यथानिर्धारित संपत्तिकर के पचास प्रतिशत तक की छूट ऐसे मानदण्ड के अनुसार दी जा सकेगी, जो कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए."

(पांच) धारा 127-ए की उप-धारा (2) के खण्ड (एफ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(एफ) विधवा या नाबालिग अथवा निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) के अधीन यथा परिभाषित शारीरिक या मानसिक निःशक्ता से ग्रसित व्यक्तियों के स्वामित्व वाली भूमि और भवन को, विहित किये गये सीमा तक."

(छः) धारा 127-ए की उप-धारा (2) के खण्ड (एच) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(एच) नेत्रहीन व्यक्ति तथा परित्यक्त महिलाओं के स्वामित्व वाली भूमि और भवन को, विहित किये गये सीमा तक."

(सात) धारा 127-ए की उप-धारा (2) के खण्ड (जे) का लोप किया जाए.

(आठ) धारा 127-ए की उप-धारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :—
"(3) इस अधिनियम में अन्यत्र अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, परिषद् या नगर पंचायत, यथास्थिति, संपत्ति कर में ऐसी छूट प्रदान करेगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए."

12. मूल अधिनियम की धारा 127-ए के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :— धारा 127-बी का अंत:स्थापन.

"127-बी. उपभोक्ता प्रभारों का अधिरोपण.—

(1) धारा 127 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, परिषद् या नगर पंचायत, जैसी भी स्थिति हो, किसी साधारण अथवा विशेष आदेश जो कि राज्य सरकार इस संबंध में जारी करे, के अध्यधीन रहते हुए, उप-धारा (2) में उल्लिखित सेवाओं के लिए उपभोक्ता प्रभार निम्नलिखित दशाओं में उद्ग्रहित कर सकेगी, अर्थात् :—

(क) जब वह सेवा वितरण में सुधार के लिये कोई नई प्रणाली या परियोजना प्रारंभ करे;

(ख) जब सेवा स्तर के आधार पर किसी सेवा का सुधार करे.

(2) उप-धारा (1) के अधीन उपभोक्ता प्रभार निम्नलिखित एक या एक से अधिक सेवाओं के लिये पृथक से उद्ग्रहित किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) जलापूर्ति;

(ख) जल निकास अथवा मलवहन निपटान और/या प्रसंस्करण;

(ग) घर द्वार के कूड़े (ठोस अपशिष्ट) का संग्रहण और/या नगरपालिक कूड़े का वैज्ञानिक प्रणाली से निपटान;

(घ) परिषद् या नगर पंचायत, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य कोई नई सेवा.

(3) उपभोक्ता प्रभार, नगर पालिक क्षेत्र पर या परिषद् या नगर पंचायत, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये शहर के किसी विशिष्ट क्षेत्र या उसके किसी भाग पर, जहां उप-धारा (1) के अधीन निर्दिष्ट सेवा प्रदान की जाती हो, उद्ग्रहित किया जा सकेगा."

13. मूल अधिनियम की धारा 129 की उप-धारा (4) में शब्द "खंड (एक)" के स्थान पर शब्द "खंड (क)" प्रतिस्थापित किया जाए. धारा 129 का संशोधन.

14. मूल अधिनियम की धारा 187-क के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :— धारा 187-क का संशोधन.

"187-क. अनुज्ञा के बिना भवनों के सन्निर्माण के अपराधों का शमन.—

(1) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या बनाई गई उपविधियों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अनुज्ञा के बिना या प्रदान की गई अनुज्ञा के प्रतिकूल, भवनों का सन्निर्माण करने के अपराध का शमन किया जा सकेगा, यदि—

(क) ऐसा सन्निर्माण नियमित भवन पंक्ति को प्रभावित नहीं करता है;

(ख) खुले पार्श्व स्थानों में या विहित फर्श क्षेत्र के अनुपात से अधिक किया गया अप्राधिकृत सन्निर्माण, विहित फर्श क्षेत्र अनुपात से दस प्रतिशत से अधिक न हो;

(ग) ऐसा सन्निर्माण राज्य सरकार द्वारा पर्वतीय स्थल के रूप में या पर्यटन महत्व के स्थल के रूप में या पारिस्थितिकी के बिन्दु से संवेदनशील रूप में अधिसूचित क्षेत्र के भीतर नहीं आता है;

(घ) ऐसा सन्निर्माण वाहनों की पार्किंग करने के लिए विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर नहीं आता है;

(ङ) ऐसा सन्निर्माण सड़क की सीमाओं के भीतर या सार्वजनिक सड़क के संरेखण को प्रभावित करने वाले क्षेत्र के भीतर नहीं आता है;

(च) ऐसा सन्निर्माण टैंक्स (*तालाबों*) के लिए विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर नहीं आता है;

(छ) ऐसा सन्निर्माण नदी किनारे से तीस मीटर के भीतर या नदी किनारे से ऐसी अतिरिक्त दूरी के भीतर नहीं आता है, जो कि मास्टर प्लान क्षेत्र में विनिर्दिष्ट की जाए;

(ज) ऐसा सन्निर्माण किसी नाले और जल धारा के क्षेत्र के भीतर नहीं आता है.

परन्तु प्रकरणों का शमन करने में अप्राधिकृत सन्निर्माण के क्षेत्र के संबंध में संबद्ध क्षेत्र के लिए शुल्क कलेक्टर मुद्रांक द्वारा अवधारित भूमि के विक्रय की प्रचलित दर के आधार पर निम्नानुसार प्रभारित किया जाएगा :—

(क) यदि सन्निर्माण, एक सौ वर्ग मीटर के भूखण्ड से संबंधित है, तो आवासीय भवन के संबंध में विक्रय की दर का दस प्रतिशत तथा गैर आवासीय भवन के संबंध में विक्रय की दर का पन्द्रह प्रतिशत;

(ख) यदि सन्निर्माण एक सौ वर्ग मीटर से अधिक किन्तु दो सौ वर्ग मीटर से अनधिक के भू-खण्ड से संबंधित है, तो आवासीय भवन के संबंध में विक्रय की दर का बीस प्रतिशत तथा गैर आवासीय भवन के संबंध में विक्रय की दर का तीस प्रतिशत;

(ग) यदि सन्निर्माण दो सौ वर्ग मीटर से अधिक किन्तु तीन सौ पचास वर्ग मीटर से अनधिक के भू-खण्ड से संबंधित है, तो आवासीय भवन के संबंध में विक्रय की दर का तीस प्रतिशत तथा गैर आवासीय भवन के संबंध में विक्रय की दर का पैंतालीस प्रतिशत;

(घ) यदि सन्निर्माण तीन सौ पचास वर्ग मीटर से अधिक के भू-खण्ड से संबंधित है, तो आवासीय भवन के संबंध में विक्रय की दर का पचास प्रतिशत तथा गैर आवासीय भवन के संबंध में विक्रय की दर का पचहत्तर प्रतिशत;

परंतु यह और कि आवासीय सन्निर्माण की दशा में शमन, मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा और गैर आवासीय सन्निर्माण की दशा में प्रेसिडेंट-इन-काउंसिल की अनुज्ञा से किया जाएगा:

परंतु यह और भी कि इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात, किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जिसका उस भवन या भूमि पर कोई अधिकार नहीं है जिस पर ऐसा सन्निर्माण किया गया है.

(2) उप-धारा (1) के अंतर्गत शमन शुल्क, केवल अप्राधिकृत सन्निर्माण पर लगेगा, न कि संपूर्ण भवन पर."

रायपुर, दिनांक 9 अगस्त 2012

क्रमांक 6645/डी. 176/21-अ/प्रारू./छ. ग./12.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 17 सन् 2012) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. चरयाणी, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 17 of 2012)

CHHATTISGARH MUNICIPALITIES (AMENDMENT) ACT, 2012

An Act further to amend the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37of 1961).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-third year of the Republic of India, as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Municipalities (Amendment) Act, 2012.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 3.

2. (i) In Section 3 of the Chhattisgarh Minicipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) (hereinafter referred to as the Principal Act), after sub-section (35-a), the following shall be inserted, namely :—

"(35-b) "social audit" means the review of the impact of policies, programmes, schemes or procedures adopted or implemented by any municipal authority, by a group or groups of persons residing within the municipal area within which such review is conducted;"

(ii) After sub-section (37) of Section 3, the following shall be inserted, namely :—

"(37-a) "user charges" means the charges imposed under Section 127-B for services rendered or are prepared to be rendered by the Council or Nagar Panchayat, as the case may be;"

Amendment of Section 41.

3. After clause (a) of sub-section (1) of Section 41 of the Principal Act, the following shall be inserted, namely :—

"(a-1) if it is found that he does not belong to the reserved category for which the seat was reserved; or"

Amendment of Section 41-A.

4. After sub-section (1) of Section 41-A of the Principal Act, the following words shall be added, namely :—

"or if it is found that he does not belong to the reserved category for which the seat was reserved."

Amendment of Section 55.

5. In sub-section (1) of Section 55 of the Principal Act, after the words "within one month of" the words "the date of publication of notification following" shall be added.

Amendment of Section 56.

6. For Section 56 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely :—

"56. **Convening of meeting.—**

(1) A meeting of the Council or Nagar Panchayat, as the case may be, shall be either ordinary or special.

(2) The date of every meeting, except the meeting referred to in Section 43, 43-A, 47, 55 or 71 shall be fixed by the President, or in the event of his being incapable of acting, by the Vice-President :

Provided that if the date of the meeting is not fixed by the President or the Vice President, the Collector shall fix the date of the meeting under intimation to the State Government.

(3) The process of finalizing the agenda and the manner of conducting the meeting shall be as may be prescribed by the State Government."

Insertion of Section 69-A.

7. After Section 69 of the Principal Act, the following Section shall be inserted, namely :—

"69-A. The explanation and/or the statement of the Chief Municipal Officer under Section 69 shall be taken on record in the minutes of the meeting."

Amendment of Section 86.

8. In sub-section (5) of Section 86, for the words "one-half" the words "two-third" shall be substituted.

Insertion of Section 121-C.

9. After Section 121-B of the Principal Act, the following shall be inserted, namley :—

"121-C. **Social Audit.—** Notwithstanding anything contained in this Act, the Council or Nagar Panchayat, as the case may be, shall arrange for Social Audit in such manner as may be prescribed by the State Government."

Amendment of Section 126.

10. (i) In sub-section (1) of Section 126 of the Principal Act, for the words "carpet area" the words "built-up area" shall be substituted.

(ii) For sub-section (1-a) of Section 126, the following shall be substituted, namley :—

"(1-a) The draft resolution mentioned in sub-section (1) shall be prepared and submitted by the Chief Municipal Officer for the financial year next on or before 31st December of each financial year, and in case the Council or the Nagar Panchayat, as the case may be, fails to adopt the resolution by the last day of February of that financial year, the resolution shall be approved by the President and shall be

deemed to be the resolution finally adopted by the Council or the Nagar Panchayat, as the case may be :

Provided that if the President does not approve the draft resolution prepared by the Chief Municipal Officer by 31st March of the current financial year, then the draft resolution as prepared by the Chief Municipal Officer shall be deemed to be the resolution finally adopted by the Council or Nagar Panchayat, as the case may be."

(iii) After sub-section (2) of Section126, the following shall be inserted, namley :—

"(2-a) If the self-assessment statement is not submitted by a person liable to submit it before 31st March, a penalty of one thousand rupees shall be imposed for the lapse."

(iv) For sub-section (3) of Section 126, the following shall be substituted, namley :—

"(3) The variation upto ten percent on lower side in the assessment made under sub-section (2) shall be ignored for the purpose of penalty, provided the assessee pays the amount of short-payment within two weeks of the assessment order with surcharge at the rate of two percent for every two month between the date when the tax was due and the date of deposit of the amount of variation, and in case where the variation is more than ten percent, the owner of the land and/or building, as the case may be, shall be liable to pay penalty equal to five times the difference of self-assessment made by him and the assessment made by the Council or Nagar Panchayat, as the case may be, apart from surcharge at the rate of two percent for every month between the date when the tax was due and the date of deposit of the amount of variation."

(v) For sub-section (4) of Section 126, the following shall be substituted, namley :—

"(4) An appeal against the order passed under sub-section (3) shall lie to the President-in-Council :

Provided that no appeal under this sub-section shall be admitted unless accompanied by proof of payment under protest of the amount demanded in the order under sub-section (3)."

Amendment of Section 127-A.

11. (i) In sub-section (1) of Section 127-A of the Principal Act, for symbol " . " (full stop) the symbol " : " (colon) shall be substituted.

(ii) After sub-section (1) of Section 127-A, the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that if the Council or the Nagar Panchayat, as the case may be, fails to determine the rate of property tax by 31st March, the rate as prevailing during the previous financial year shall be deemed to be the rate for the current financial year."

(iii) For clause (b) of sub-section (2) of Section 127-A, the following shall be substituted, namley :—

"(b) All kachcha dwelling units having country tile (Kawelu) roof and measuring not more than 500 square feet, and all buildings and lands belonging to or occupied by the urban poor sections as may be exempted by the Government through notification."

(iv) For clause (c) of sub-section (2) of Section 127-A, the following shall be substituted, namley :—

"(c) educational institutions of Government of India, State Government, Council or Nagar Panchayats as the case may be, registered charitable trusts, educational institutions registered under Section 12A of the Income Tax Act, 1961 shall be wholly exempted and other educational institutions may be given a rebate of upto fifty percent of the property tax as assessed by the Council or Nagar Panchayats as the case may be in accordance with norms that may be prescribed by the State Government."

(v) For clause (f) of sub-section (2) of Section 127-A, the following shall be substituted, namley :—

"(f) buildings and lands owned by widows or minors or persons subject to physical or mental disability as defined under the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 (1 of 1996), to the extent as may be prescribed."

(vi) For clause (h) of sub-section (2) of Section 127-A, the following shall be substituted, namley :—

"(h) buildings and lands owned by blind persons and abandoned women, to the extent as may be prescribed."

(vii) Clause (j) of sub-section (2) of Section 127-A shall be omitted.

(viii) After sub-section (2) of Section 127-A of the Principal Act, the following shall be inserted, namley :—

"(3) Notwithstanding anything contained elsewhere in this Act, the Council or the Nagar Panchayat, as the case may be, shall grant discount on Property Tax as may be prescribed by the State Government."

Insertion of Section 127-B.

12. After Section 127-A of the Principal Act, the following shall be inserted, namely :—

"127-B. **Imposition of User Charges.—**

(1) Notwithstanding anything contained in Section 127, the Council or the Nagar Panchayat, as the case may be, shall, subject to any general or special order which the State Government, may make in this regard, levy user charges for the services mentioned in sub-section (2) in the following circumstances, namely :—

(a) when it introduces a new system or project for improved service delivery;

(b) when a service is improved in terms of service levels.

(2) The user charges under sub-section (1) may be levied severally on one or more of the following services, namely :—

(a) water supply;

(b) drainage or sewerage disposal and/or treatment;

(c) door-to-door collection of solid waste and/or scientific system for disposal of municipal waste;

(d) any other new service rendered by the Council or the Nagar Panchayat, as the case may be.

(3) User charges may be levied on the municipal area or any part thereof as may be specified by the Council or Nagar Panchayat, as the case may be, on specific areas of the city where the service referred to under sub-section (1) is provided."

13. In sub-section (4) of Section 129 of the Principal Act, for the words "clause (i)" the words "clause (a)" shall be substituted.

Amendment of Section 129.

14. For Section 187-A of the Principal Act, the following shall be substituted, namely :—

Amendment of Section 187-A.

"187-A. **Compounding of offences of construction of buildings without permission—**

(1) Notwithstanding anything contained in this Act or any other Act, for the time being in force or any rules or byelaws made thereunder, the offence of constructing buildings without permission or contrary to the permission granted may be compounded, if—

(a) such construction does not affect the regular building line;

(b) the unauthorized construction made in the marginal open spaces or in excess of the prescribed floor area ratio does not exceed ten percent of the prescribed floor area ratio;

(c) such construction does not come within the area notified by the State Government as a hill station or as a place of tourist importance or as sensitive from the point of ecology;

(d) such construction does not come within the area specified for parking of vehicles;

(e) such construction does not come within the boundary of roads or within the area affecting alignment of public roads;

(f) such construction does not come within the area specified for Tanks (talab);

(g) such construction does not come within thirty meters or such further distance from the river bank as may be specified in the master plan area;

(h) such construction does not come within the area of any *nullah* and water stream :

Provided that in compounding the cases, fees shall be charged, as under in respect of the area of unauthorized construction on the basis of the rate of sale of land determined by the Collector of Stamps for the area concerned:—

(a) if the consruction relates to a plot of one hundred square meter, ten percent of the rate of sale in respect of residential buildings and fifteen percent of the rate of sale in respect of non-residential houses/buildings;

(b) if the construction relates to a plot exceeding one hundred square meter, but does not exceed two hundred square meter, twenty percent of the rate of sale, in respect of residential buildings and thirty percent of the rate of sale, in respect of non-residential buildings;

(c) if the construction relates to a plot exceeding two hundred square meter, but does not exceed three hundred fifty square meter, thirty percent of the rate of sale, in respect of residential buildings and forty five percent of rate of sale, in respect of non-residential buildings;

(d) if the construction relates to a plot exceeding three hundred fifty square meter, fifty percent of the rate of sale, in respect of residential building and seventy-five percent of the rate of sale, in respect of non residential buildings :

Provided further that the compounding shall be made in case of residential construction by the Chief Municipal Officer and in case of non-residential construction with the permission of President-in-Council :

Provided also that nothing contained in this section shall apply to any person who does not have any right over the building or the land on which such construction has been made.

(2) The compounding fee under sub-section (1) shall be charged on the unauthorized construction and not on the entire building."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.